उपायुक्त का कार्यालय (जिला समाज कल्याण शाखा), धनबाद ।

–:: सूचना ::–

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–4432, दिनांक–28.11.2017 एवं राज्य निःशक्तता आयुक्त, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–23, दिनांक–08.01.2019 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अन्तर्गत जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए समिति के गठन किये जाने हेतु विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति एवं दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि/अहर्त्ताधारी इच्छुक व्यक्ति/संस्था/बौद्धिक निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांगजनों के अभिभावक को प्रतिनिधि के रुप में मनोनित किया जाना है जो निम्नवत् है:–

1. दृष्टि बाधित अथवा अल्प दृष्टि दिव्यांगता श्रेणी का एक व्यक्ति – सदस्य
2. श्रवण दिव्यांगता श्रेणी का एक व्यक्ति – सदस्य
3. गामक (अस्थि) दिव्यांगता श्रेणी का एक व्यक्ति – सदस्य
4. दिव्यांगजनों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास से जुड़े स्वैच्छिक संगठन का एक व्यक्ति– सदस्य
5. दिव्यांगजनों का समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठन का एक व्यक्ति– सदस्य
6. बौद्धिक निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांगजनों के अभिभावक – सदस्य

उपरोक्त सदस्य हेतु अहर्त्ताधारी इच्छुक व्यक्ति/महिला/संस्था से दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ दिनांक–......27.03.19...... तक लिखित आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय, धनबाद को समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

12/3/19

उपायुक्त,
धनबाद।